मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग,
वल्लभ भवन कमांक–3, चतुर्थ तल
मंत्रालय भोपाल

//आदेश//

भोपाल दिनांक 28 /02/2019

कमांक/730/3902/2018/1/59 : राज्य शासन द्वारा समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 05/01/2019 में समिति द्वारा निम्नलिखित आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को समयमान वेतनमान की पात्रता हेतु निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति न करने के कारण अनुपयुक्त पाये जाने के अनुकम में कॉलम 3 में उल्लिखित समयमान वेतनमान की स्वीकृति नहीं दी जाती है:–

क.	सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी का नाम/पदनाम एवं जिस जिले से सेवानिवृत्त हुए है उस जिले का नाम एवं सेवानिवृत्त तिथी	समिति की अनुशंसा
1	2	3
1	डॉ.मनोहरलाल पाण्डे, सेवानिवृत्त आ.चि.अ. जिला खण्डवा सेवानिवृत्त 31.10.2009	विचारण वर्ष 2002 से 2006 तक के गोपनीय प्रतिवेदनों में से वर्ष 2004 के गोपनीय प्रतिवेदन अप्राप्त होने पर एक वर्ष पूर्व के गोपनीय प्रतिवेदन वर्ष 2001 के गोपनीय प्रतिवेदनो को विचार में लिये गये । उपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन में निर्धारित अंक नहीं होने पर दिनांक 01.04.2006 से द्वितीय समयमान वेतनमान हेतु अनुपयुक्त पाये गये है। डॉ.मनोहरलाल पाण्डेय, आ.चि.अ. जिला खण्डवा को इसके आगे के वर्षो में समिति द्वारा विचार किया गया। वर्ष 2007 एवं वर्ष 2008 में भी समिति द्वारा विचार किया गया। उक्त वर्षो में भी गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन में निर्धारित अंक नहीं होने पर इन वर्षो में भी द्वितीय समयमान वेतनमान हेतु अनुपयुक्त पाये गये है।
2	डॉ.जयप्रकाश सोनी, सेवानिवृत्त आ.चि.अ. जिला रतलाम (सेवानिवृत्त 31.12.2008)	विचारण वर्ष 2002 से 2006 तक के उपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन में निर्धारित अंक नही होने पर समिति द्वारा दिनांक 01.04.06 से द्वितीय समयमान वेतनमान हेतु अनुपयुक्त पाया गया है। समिति द्वारा इनके आगे के वर्षो में द्वितीय समयमान वेतनमान दिये जाने पर विचार किया गया। वर्ष 2007 एवं 2008 के गोपनीय प्रतिवेदनों का भी समग्र मूल्यांकन निर्धारित अंक नही होने पर अनुपयुक्त पाया गया है।
3	डॉ0ओमप्रकाश श्रीवास्तव सेवानिवृत आ.चि.अ. जिला गुना (सेवानिवृत्त 30.06.2008)	विचारण वर्ष 2002 से 2006 तक के गोपनीय प्रतिवेदनों में से वर्ष 2005 का गोपनीय प्रतिवेदन अप्राप्त है। इनके एक वर्ष पूर्व वर्ष 2001 विचार में लिया गया। गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन निर्धारित अंक नहीं होने पर अनुपयुक्त पाया गया है। समिति द्वारा इनके आगामी वर्ष 2007 एवं 2008 में द्वितीय समयमान वेतनमान दिये जाने पर विचार किया गया। लेकिन किसी भी वर्ष में गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन निर्धारित अंक नहीं होने पर इन वर्षो में भी द्वितीय समयमान वेतनमान हेतु अनुपयुक्त पाये गये है।
4	डॉ.भगवान दत्त राय,	विचारण वर्ष 2002 से 2006 तक के गोपनीय प्रतिवेदन में से केवल 2005 का गोपनीय प्रतिवेदन अनुपलब्ध है। समिति द्वारा एक वर्ष पूर्व 2001 के गोपनीय प्रतिवेदन को विचार

	सेवानिवृत्त आचिअ, जिला टीकमगढ (सेवानिवृत्त 31.01.2009)	में लिया गया। गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन निर्धारित अंक नही होने पर दिनांक 01.04.2006 की स्थिति में द्वितीय समयमान वेतनमान हेतु अनुपयुक्त है। समिति द्वारा वर्ष 2007, 2008 में द्वितीय समयमान वेतनमान दिये जाने पर विचार किया गया। उक्त वर्षो में भी गोपनीय प्रतिवेदनों का भी समग्र मूल्यांकन निर्धारित अंक नहीं होने पर द्वितीय समयमान वेतनमान हेतु अनुपयुक्त पाया गया है।
5	डॉ.श्रीमती आशा दीक्षित, सेवानिवृत्त आचिअ, ग्वालियर (सेवानिवृत्त 31.07.2009)	विचारण वर्ष 2002 से 2006 तक के गोपनीय प्रतिवेदन में से वर्ष 2004, 2005 एवं 2006 अनुपलब्ध है । वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनुपलब्ध गोपनीय उपलब्ध होना संभव नहीं होने पर समिति द्वारा अनुपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदनो की श्रेणी को "अच्छा" मान्य किया जाने पर भी गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन निर्धारित अंक नहीं होने पर दिनांक 01.04.2006 से प्रथम समयमान वेतनमान हेतु अनुपयुक्त पाया गया है।

2/— उपरोक्त सभी सेवानिवृत्त आयुष चिकित्सा अधिकारियों को पात्रता दिनांक से उनके सेवानिवृत्त दिनांक तक के वर्षो में प्रथम/द्वितीय उच्चतर वेतनमान देने पर समिति द्वारा विचार किया गया। उक्त सभी आयुष चिकित्सा अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन में निर्धारित अंक नहीं होने पर समिति द्वारा प्रथम/द्वितीय समयमान उच्चतर वेतनमान हेतु अनुपयुक्त पाये गये है। पूर्व में स्वीकृत प्रथम/द्वितीय समयमान वेतनमान की नियमानुसार वसूली की जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ0एस.एस.कुमरे)
उप सचिव
म. प्र. शासन, आयुष विभाग

पृष्ठांकन कमांक/731/3902/2018/1/59 भोपाल, दिनांक 28/02/2019

प्रतिलिपिः—

1— विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, आयुष विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2— निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, आयुष विभाग।
3— आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4— संबंधित संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन उज्जैन/ग्वालियर/इंदौर संभाग। इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में समयमान वेतनमान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंधित प्रकरणों में समयमान वेतनमान हेतु अनुपयुक्त पाये गये संबंधित अधिकारियों को किये जा रहे अधिक भुगतान को तत्काल रोका जाकर अभी तक किये गये अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर अवगत कराने का कष्ट करें।
5— उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश बेवसाइड पर प्रदर्शित हेतु।
6— संभागीय आयुष अधिकारी उज्जैन,ग्वालियर, इंदौर संभाग। आदेश की एक प्रति संबंधित के वर्तमान पते पर तामील करायें।
7— जिला आयुष अधिकारी रतलाम, गुना, टीकमगढ, ग्वालियर,खंडवा। आदेश की एक प्रति संबंधित के वर्तमान पते पर तामील कराये एवं नियमानुसार वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
8— संबंधित डॉ0 ————————— द्वारा— जिला आयुष अधिकारी, जिला रतलाम, गुना, टीकमगढ, ग्वालियर
9— आदेश फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव
म. प्र. शासन, आयुष विभाग